न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 88/20014
दायर दिनांक – 21/07/2014
निर्णय दिनांक – 25/06/2018

अनवान

1. राजकुमार पिता गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा
2. सत्यनारायण पिता गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा
3. शान्ता पत्नि गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. गोविन्द पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
2. रतन पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
3. भैरूलाल पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
4. किशनलाल पिता केशुलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
5. प्यारी बेवा केशुलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
6. भैरूलाल मुतबन्ना भंवरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
7. मोहनी बाई बेवा भवरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
8. उदयलाल पिता बालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
9. मांगीबाई बेवा बालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
10. पन्नालाल पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
11. रामचन्द्र पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
12. श्यामलाल पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
13. लीलाधर पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
14. धापूबाई पुत्री किशनलाल पत्नि गौरी शंकर ब्रहमण जोर तहसील आमेट
15. सुरेश मुतबन्ना किशनलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
16. नरेश पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
17. विनोद पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
18. राजेश पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
19. केशीबाई बेवा रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
20. भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
21. बुद्धिप्रकाश पिता शंकरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
22. भेरूलाल पिता शकरलाल कुमावत कुमावतो का खेडा बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 रा0का0अ0

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा मे आराजी संख्या 1186 ,1187, 1188, 1190, 1191, 1192 ,1193 कुल किता 7 कुल रकबा 24–16 बीघा भूमि स्थित है। पैरा संख्या 1 मे वर्णित वर्तमान आराजीयात पर साबिक आराजी संख्या 1563/1 मीन,1562/2 मीन तथा 1562/4 के बने। ये आराजीयात वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 21 के पूर्वाधिकारी स्व0 खेमराज जी एव स्व0 जीतमल जी के स्वामित्व, आधिपत्य, एव उपयोग उपभोग की रही, जिनके परिवार का सजरा नीचे दिया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी गण संख्या 1 से लगायात 13 तक सभी एक ही परिवार के सदस्य होकर स्वर्गीय खेमराजी जी के वारिसान है। खेमराज जी के 2 पुत्र बडा अम्बाराम व छोटा रामलाल हुए व खेमराज जी की मृत्यु के पश्चात अम्बाराम बडा होकर परिवार का कर्ता खानदान रहा है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 13 के परिवार का सजरा वाद पत्र में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 14 से लगायात 21 तक एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व0 जीतमल जी के वारिसान है। जीतमल जी के 3 पुत्र किशनलाल, काशीराम,शंकरलाल हुए जिनमे किशनलाल सबसे बडा होकर परिवार का कर्ता खानदान रहा है। इनके परिवार का सजरा वाद पत्र में अंकित है। खेमराज जी व जीतमल जी दोनो आपस मे भाई थे, जिनका स्वर्गवास मेवाड सेटलमेंट से पहल यानि मेवाड सेटलमेट के राजस्व अभिलेख बने, उससे पहले हो गया था तथा उस समय खेमराज जी के परिवार मे सबसे बडे पुत्र अम्बाराम जी थे तथा जीतमल के परिवार मे सबसे बडे पुत्र किशनलाल थे इस कारण राजस्व अभिलेखों मे खेमराज जी एव जीतमल जी की कृषि भूमियो के राजस्व अभिलेखो मे दोनो के बडे पुत्र होने एव कर्ता खानदान होने से अम्बाराम एव किशनलाल के नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किये गये परन्तु वास्तव मे खेमराज जी की कृषि भूमियो मे उनके दोनो पुत्रो अम्बाराम व रामलाल का बराबर हक व अधिकार था। तथा जीतमल की तीनो सम्पत्तियों मे उनके तीनो पुत्रों किशनलाल, काशीराम व शंकरलाल का बराबर हक व अधिकार रहा। परन्तु मेवाड सेटलमेन्ट के समय परिवार के बडे पुत्र होने की वजह से एव कर्ता खानदान होने से खेमराज की सम्पतिया अम्बाराम जी के नाम एव जीतमल जी की सम्पतियां किशनलाल जी के नाम दर्ज की गयी। वादपत्र के पैरा संख्या 5 मे बताये गये कारण से परिवार के मुखिया होने से, जो कृषि भूमियों अकेले अम्बाराम पिता खेमराज व किशनलाल पिता जीतमल के नाम दर्ज हो गयी, परन्तु वास्तव मे ये कृषि भूमियां स्व0 खेमराज जी एव जीतमल जी के सभी वारिसान के सयुंक्त स्वामित्वख आधिपत्य की रही है तथा मौके पर सभी ने इन भूमियों को आपसी सहमति से अलग अलग बांट रखी है तथा उसी अनुसार आपसी सहमति से काबिज है उपयोग उपभोग कर रहे है। इस सारी स्थिति को सभी अच्छी तरह से जानते व मानते आये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बाला बाला वादीगण एव अन्य प्रतिवादीगण से पोशिदा रख वाद के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

22 के पक्ष मे विक्रयपत्र निष्पादित करवा दिया, जिसकी जानकारी वादी संख्या 1 को दिनांक 16/06/2014 को हुई, तो तुरन्त ही इस विक्रय पत्र की नकल प्राप्त की, तो जाहिर आया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते की नियत से उक्त भूमियों के 1/9 हिस्से के सम्बन्ध मे अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि के सम्बन्ध मे विक्रयपत्र निष्पादित कराया है जबकि वादग्रस्त भूमियों मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मिलाकर 1/24 हिस्सा ही बनता है। 1/24 भाग से अधिक भूमि के सम्बन्ध मे इन प्रतिवादीगण को विक्रयकरने का अधिकार नही है। इसके बावजूद भी अपने अधिकारों से परे जाकर जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विक्रयपत्र कराया है वो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य होकर नलेटी हैऔर इस अवैध व शुन्य विक्रयपत्र से प्रतिवादी संख्या 22 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है । ज्यादा से ज्यादा प्रतिवादी संख्या 22 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जो 1/24 हिस्सा है , वही कानूनन प्राप्त हो सकता है, इससे ज्यादा नही। प्रतिवादी संख्या 22 उपर वर्णित अवैध व शुन्य विक्रयपत्र की आड मे वादीगण के आपसी सहमत से हिस्से आराजी संख्या 1887 आयी, जिससे वादीगण काबिज हो काश्त कर रहे है। वर्तमान मे वादीगण ने इस खेत मे ज्वार, उडद , मूंग व मक्का की फसल बोई है। प्रतिवादी संख्या 1 2 22 इस भूमि मे वादीगण के आधिपत्य एव उपयोग उपभोग मे ताकत के बल पर दखलन्दाजी एव कब्जा करने को आमादा है तथा ऐलानिया धमकिया दे रहे है। कि " मै इस जमीन पर कब्जा कर के रहेंगे "। प्रतिवादी संख्या 22 भूमाफिया होकर इस प्रकार की वादग्रस्त भूमियों को कोडियो के दाम पर क्रय करता है तथा अवैध वसूली करता रहता है। प्रतिवादी संख्या 22 ज्याद से ज्यादा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वादपत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात के 1/24 वे हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी रहता है। इससे अधिक नही। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 21 के सहखातेदारी की भूमियां है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इस सहखातेदारी की भूमि मे 1/24 वा हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 22 इस 1/24 वे हिस्से को ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रतिवादी संख्या 22 अजनबी केता है तथा अजनबी केता सहखातेदारी की भूमि को बिना विधिवत विभाजन कराये प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है, इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 22 ताकत के बल पर अवैध रूप से अविभाजित भूमि को अवैध विक्रयपत्र के आधार पर जबरन कब्जा करना चाहता है और आये दिन इस हेतू प्रयत्नशील भी रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 22 के नाजायज कृत्यों के कारण वादीगण के लिए अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना तथा राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाना तथावादग्रस्त भूमियों का विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है। बिना इसके वादीगण को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 2 22 के उपरोक्त नाजायज कृत्यों के कारण इनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है । बिना इसके वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन व पूर्ति अर्थ मे असम्भव रहेगी और व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी। प्रतिवादी संख्या 23 को भूमिधारक होने व आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है उसके विरूद्ध कोई दाद नही

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

चाही गयी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री पारित की जावे कि यह घोषित किया जावे कि राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा मे स्थित वादपत्र की पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 21 सहखातेदार होकर सह कृषक है तथा राजस्व अभिलेखो मे इनका नाम सह खातेदार के रूप मे दर्ज किये जाने योग्य है। दाद संख्या 1 के परिणाम स्वरूप वादपत्र के पैरा संख्य 1 मे वर्णित आराजीयात के राजस्व अभिलेखो मे वादीगण का नाम सहखातेदार के हक से दर्ज कराया जावे। वादपत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का विधिवत विभाजन कराया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि को वादीगण को पृथक से दिलायी जावे, लगान का भी बटवाडे कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 2 22 के विरूद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात मे आपसी सहमति से वादीगण के हिस्से आयी आराजी संख्या 1187 मे वादीगण के आधिपत्य व उपयोग उपभोग मे बाधा व दखलन्दाजी नही करे, इस भूमि को जबरन कब्जा नही करे तथा वादीगण की फसल को नुकसान नही पहुचावे, इस भूमि के स्वरूप को परिवर्तित नही करे तथा से कार्य अन्य किसी से भी नही करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 13 एवं 15 से लगायत 21 तक ने स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 23 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 22 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया जाने से जवाब के अवसर बन्द किये गये बाद में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 राजकुमार, पीडब्ल्यू–02 रोशनलाल लौहार, पीडब्ल्यू–03 गणपतलाल ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू–04 राजेन्द्र कुमार ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू–05 नाथुलाल अहिर, पीडब्ल्यू–06 भैरूलाल लौहार, पीडब्ल्यू–07 आशीष कुमार ब्राहम्ण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069–72 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की खसरा पत्रक संवत् 2020–24 की प्रति प्रदर्श–3, महकमें बन्दोबस्त राजस्व मेवाड के खसरा पत्रक की प्रति प्रदर्श–4 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कुरज पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादीगण उपस्थित वादीगण ने शिविर के दौरान विभाजन की सहायता नही चाही जाकर केवल घोषणा की दाद चाही गयी है।

वादीगण को सुना गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं शिविर के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

दौरान कैम्प में उपस्थित मौतबिरान द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक सम्पत्तियां है तथा उक्त सम्पत्तियों में से आराजी संख्या 1187 पर वादीगण को एवं उनके पूर्वजों को कब्जा भी चला आ रहा है तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब भी स्वीकारात्मक प्रस्तुत किया गया है।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज के आराजी संख्या 1187 का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कुरज पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 88 / 2014

अनवान

वादी पक्ष :–

1 राजकुमार पिता गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा
2 सत्यनारायण पिता गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा
3 शान्ता पत्नि गोपीलाल जोशी कुरज तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. गोविन्द पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
2 रतन पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
3 भैरूलाल पिता बंशीलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
4 किशनलाल पिता केशुलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
5 प्यारी बेवा केशुलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
6 भैरूलाल मुतबन्ना भंवरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
7 मोहनी बाई बेवा भवरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
8 उदयलाल पिता बालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
9 मांगीबाई बेवा बालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
10 पन्नालाल पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
11 रामचन्द्र पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
12 श्यामलाल पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
13 लीलाधर पिता कालूराम ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
14 धापूबाई पुत्री किशनलाल पत्नि गौरी शंकर ब्रहमण जोर तहसील आमेट
15 सुरेश मुतबन्ना किशनलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
16 नरेश पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
17 विनोद पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
18 राजेश पिता रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
19 केशीबाई बेवा रामेश्वरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
20 भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
21 बुद्धिप्रकाश पिता शंकरलाल ब्रहमण कुरज तहसील रेलमगरा
22 भेरूलाल पिता शकरलाल कुमावत कुमावतो का खेडा बोराणा
23 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दावा :– घोषणा
वादी की ओर से :– अधिवक्ता श्यामसुन्दर पालीवाल
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 25.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज के आराजी संख्या 1187 का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 25/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा